CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED. CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, केम्प सागर

नि.ग./3583-II-15

पूरन पटैल आयु ७० वर्ष वल्द स्व.श्री गनपत पटैल
निवासी ग्राम बहेरिया गद्गद तहसील व जिला सागर

.....................पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

नारद कुमार जैन आयु ५२ वर्ष लक्ष्मीचन्द जैन
निवासी ग्राम बण्डा, तहसील बण्डा जिला सागर

.....................उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता १६५६ ।

पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ०६ अ/१२ वर्ष २०१४ - २०१५ ग्राम बहेरिया पक्षकार नारद कुमार जैन में पारित आदेश दिनांक १०/०४/२०१५ एवं २५/०५/२०१५ से दुःखित होकर नीचे लिखे तथ्यों के अतिरिक्त आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

B.O.R.
12 OCT 2015

१. यह कि उत्तरवादी ने अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करके मौजा ग्राम बहेरिया गदगद पटवारी हल्का नम्बर ७७ राजस्व निरीक्षक मण्डल सागर-२ में स्थित खसरा नम्बर ६७/४ एवं ६६/१ रकवा क्रमशः ०.०२ हेक्टेयर, ०.४५ हेक्टेयर के सीमांकन कराए जाने की प्रार्थना की ।

२. यह कि उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर ने आर्डर शीट दिनांक १०/०४/२०१५ में "सीमांकन हेतू हल्का पटवारी को सीमांकन कार्यवाही किए जाने जाने हेतू आदेश जारी हो ।" लेख किया था । उक्त आदेश के विरूद्ध जाकर स्वयं अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निरीक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर ने चार पटवारियों की संयुक्त टीम द्वारा सीमांकन कार्य दिनांक २५/०४/२०१५ को समपनन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश- दिनांक १०/०४/२०१५ को जारी कर दिया Annexure A-1 है ।

३. यह कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारी श्रीमान् राजस्व निराक्षक सागर-२ तहसील सागर जिला सागर ने दिनांक २५/०५/२०१५ को आर्डर शीट में यह उल्लेख करते हुए कि कोई आपत्ति नहीं है

(260)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. नि-3583-II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और उपलब्ध अभिलेख तथा निगरानी मेमो का परिशीलन किया। ऐसा करने पर मैं प्रकरण में निम्न प्रमुख बिन्दु टीप योग्य पाता हूँ:— 1) प्रतिनिगराकार भारद के सीमांकन आवेदन दि 5-3-15 में सरहदी कृषकों के विवरण नहीं लिखे हैं, जबकि MPLRC की धारा 129 के अधीन बने नियमों में आवेदन के साथ यह ब्यौरा होना आवश्यक है। प्रकरण में अन्यत्र भी सरहदी कृषकों / हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत पहचाने जाने की कार्यवाही नहीं की जाना परिलक्षित है। 2) सूचनापत्र दि: 20-5-15 में निगराकार पूरन का नाम बतौर अनावेदक लिखा है, किन्तु उनके हस्ताक्षर नहीं हैं; ना ही हस्ताक्षर से इन्कार किए जाने का लेख है। 3) पंचनामे में निगराकार के अतिक्रमण का सीधे उल्लेख नहीं किया जाकर, संलग्न फील्डबुक और नक्शे में उसका लेख है। 4) मौका कार्यवाही के अभिलेख में स्थाई सीमाचिन्ह कौन-कौन से लिये गए हैं, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, और निगराकार द्वारा निगरानी मेमो में इस बिन्दु पर विस्तृत आपत्ति पेश की गई है। 5) दि. 23-5-15 को मौके की कार्यवाही के बाद दि 25-5-15 को पारित आदेश में यह लिखा	

[कृ. प. उ.

R-3853-III/15 सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया है कि कोई आपत्ति पेश नहीं। यह सही नहीं है, क्योंकि निगराकार को आपत्ति रही है, जिसे लेकर वो रा.मं. तक आया है। उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में मैं रा.नि. सागर-2 का आक्षेपित आदेश दि. 25.5.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ, तथा संबंधित तहसीलदार, तह. सागर को यह निर्देश देता हूँ कि वे विवादित प्र.क. 9/अ12/14-15 अब अपने समक्ष खोलकर निगराकार को उसकी आपत्ति प्रस्तुत करने और पक्ष समर्थन करने का पूर्ण अवसर दें, साथ ही उसके उपरान्त यदि आवश्यक हो तो मौके की कार्यवाही पुनः कराते हुए, समस्त कृषकों/हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं पक्षसमर्थन के अवसर सहित, नए सिरे से प्रकरण में आदेश पारित करें। तह. इस प्रकार नवीन आदेश, रा.मं. के इस आदेश की उन्हें सूचना के अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर, पारित करें। आदेश पारित। पक्षकार एवं तह. सागर सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। (सदस्य) 2.2.16	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.